क्रम-संख्या–36

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस0एस0पी0/एल0-डब्लू/एन0पी0–91/2014–16

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, मंगलवार, 3 फरवरी, 2026

माघ 14, 1947 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–6

———

संख्या 145/81-6–2026-94(पर्या)-2011

लखनऊ, 3 फरवरी, 2026

———

अधिसूचना

सा0प0नि0–8

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10, सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (अधिनियम संख्या–14, सन् 1981) की धारा 54 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से परामर्श के पश्चात् उत्तर प्रदेश ईंट भट्ठा (स्थापना हेतु स्थल मापदण्ड) नियमावली, 2012 में संशोधन करने के दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं, अर्थात:–

उत्तर प्रदेश ईंट भट्ठा (स्थापना हेतु स्थल मापदण्ड) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2026

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश ईंट भट्ठा (स्थापना हेतु स्थल मापदण्ड) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2026 कही जाएगी।

(2) यह सरकारी गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

नियम–2 का संशोधन

2–(1) उत्तर प्रदेश ईंट भट्ठा (स्थापना हेतु स्थल मापदण्ड) नियमावली, 2012 (जिसे आगे "उक्त नियमावली" कहा गया है) में, नियम–2 में:–

(क) नीचे स्तम्भ–एक में दिये गये विद्यमान खण्ड (एक) के स्थान पर स्तम्भ–दो में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

स्तम्भ–एक	स्तम्भ–दो
(विद्यमान खण्ड)	**(एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड)**
(एक) कोई ईंट भट्ठा किसी नगर परिषद अथवा नगर निगम के क्षेत्र से 5.0 किलोमीटर की दूरी के भीतर स्थापित नहीं किया जायेगा। उपरोक्त निर्बन्धनों के अध्यधीन आवासीय क्षेत्र से कम से कम 500 मीटर दूर स्थापित किया जायेगा, जिनकी न्यूनतम जनसंख्या 100 से 150 व्यक्तियों की हो अथवा 20 कच्चे या तो पक्के घर हों, किसी आवासीय क्षेत्र से 1.00 किलोमीटर दूर जिनकी जनसंख्या 150 व्यक्तियों अथवा 20 घरों से अधिक, चाहे कच्चे या पक्के हों, से अधिक हों।	(एक) कोई ईंट भट्ठा किसी नगर पालिका परिषद, नगर निगम अथवा नगर पंचायत के क्षेत्र से 5.0 किलोमीटर की दूरी के भीतर स्थापित नहीं किया जायेगा। उपर्युक्त निर्बन्धनों के अध्यधीन ईंट भट्ठा आवासों से न्यूनतम 800 मीटर की दूरी पर स्थापित किया जायेगा।

(ख) नीचे स्तम्भ–एक में दिये गये विद्यमान खण्ड (छः) के स्थान पर स्तम्भ–दो में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

स्तम्भ–एक	स्तम्भ–दो
(विद्यमान खण्ड)	**(एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड)**
(छः) कोई ईंट भट्ठा पहले से स्थापित किसी ईंट भट्ठा से 800 मीटर के भीतर स्थापित नहीं किया जायेगा।	(छः) कोई ईंट भट्ठा पहले से स्थापित किसी ईंट भट्ठा से 1.0 किलोमीटर की दूरी के भीतर स्थापित नहीं किया जायेगा।

(ग) अन्त में निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्:–

"परन्तु यह कि कोई ईंट भट्ठा जो उत्तर प्रदेश ईंट भट्ठा (स्थापना हेतु स्थल मापदण्ड) नियमावली, 2012 के प्रारम्भ होने से पूर्व स्थापित हुआ हो और जिसने सहमति हेतु आवेदन बोर्ड के समक्ष पहले ही जमा किया हो अथवा सहमति/अनुमति/अनापत्ति प्रमाण-पत्र/लाइसेंस/रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र/रायल्टी चालान किसी सरकारी विभाग/प्राधिकारी यथा खनन विभाग, जिला पंचायत और वाणिज्य कर विभाग से प्राप्त कर लिया हो, जिससे यह प्रमाणित होता हो कि ईंट भट्ठा, उत्तर प्रदेश ईंट भट्ठा (स्थापना हेतु स्थल मापदण्ड) नियमावली, 2012 के प्रारम्भ होने अर्थात दिनांक 27 जून, 2012 के पूर्व स्थापित किया गया है, को विधिमान्य ईंट भट्ठा समझा जायेगा। यदि ऐसे ईंट भट्ठों द्वारा बोर्ड से किसी पूर्व सहमति के बिना उत्पादन प्रारम्भ कर दिया गया है, तो ऐसे मामलों में इन ईंट भट्ठों के प्रचालन हेतु सहमति के लिए आवेदन किये जायेंगे तथा बोर्ड समस्त व्यतिक्रमण वर्ष हेतु एक वर्ष के शुल्क के तीन गुना शास्ति अधिरोपित कर प्रचालन हेतु सहमति जारी करेगा।"

नियम–4 का संशोधन

3–उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ–एक में दिए गए विद्यमान नियम 4 के स्थान पर स्तम्भ–दो में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

स्तम्भ–एक	स्तम्भ–दो
(विद्यमान नियम)	**(एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम)**
भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय (एमओईएफ) द्वारा ईंट भट्ठों के लिये यथाअधिसूचित उत्सर्जन मानक और प्रदूषण नियंत्रण पद्धति जिसमें चिमनी की ऊंचाई सम्मिलित है, ईंट भट्ठे के मामले में पर्यावरण (संरक्षण) नियमावली, 1986 के अधीन निर्गत अधिसूचना संख्या–जीएसआर–543 (ई), दिनांक 22 जुलाई, 2009 की अनुसूची 1 में क्रम–संख्या 74 द्वारा अधिसूचित है, लागू होंगे।	**4– उत्सर्जन मानक** भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ) द्वारा ईंट भट्ठों के लिये यथाअधिसूचित उत्सर्जन मानक और प्रदूषण नियंत्रण पद्धति जिसमें चिमनी की ऊंचाई सम्मिलित है, ईंट भट्ठे के मामले में पर्यावरण (संरक्षण) नियमावली, 1986 के अधीन निर्गत अधिसूचना संख्या–जीएसआर–143(ई), दिनांक 22 फरवरी, 2022 की अनुसूची 1 में क्रम-संख्या–74 द्वारा अधिसूचित है, लागू होंगे;

स्तम्भ–एक	स्तम्भ–दो
(विद्यमान नियम)	**(एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम)**
	परन्तु यह कि ईंट भट्ठों के स्थल मापदण्ड के सम्बंध में इस नियमावली का नियम–2 लागू होगा।

4–उक्त नियमावली में विद्यमान नियम 7 के पश्चात, निम्नलिखित नियम बढा दिये जायेंगे, अर्थात्:– (नये नियम 7–'क' एवं 7–'ख' का बढ़ाया जाना)

7–(क) ''संवेदनशील क्षेत्र से सम्बंधित अभिभावी आदेश — यदि सरकार द्वारा अधिसूचित कोई संवेदनशील क्षेत्र जो वायु गुणवत्ता में गिरावट के कारण वायु उत्सर्जन से प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो रहा है, के सम्बंध में बोर्ड द्वारा समय-समय पर प्राप्त कोई अभिभावी परिवर्तन/आदेश बोर्ड द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत सक्षम प्राधिकारी के सम्यक् अनुमोदन से स्वीकार्य होगा।

7–(ख) बन्दी आदेश का निष्पादन — राज्य बोर्ड द्वारा जारी बंदी आदेश के निष्पादन हेतु जिला प्रशासन, सम्बंधित पुलिस प्राधिकारी और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सम्बंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी उत्तरदायी होंगे।

आज्ञा से,
अनिल कुमार,
प्रमुख सचिव।

———————

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 145/ LXXXI-6–2026-94(Parya)-2011, dated February 3, 2026:

No. 145/ LXXXI-6–2026-94(Parya)-2011

Dated Lucknow, February 3, 2026

IN exercise of the powers under Section 54 of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (Act no. 14 of 1981) *read* with Section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act no. 10 of 1897), the Governor, after consultation with the Uttar Pradesh Pollution Control Board, is pleased to make the following rules with a view to amend the Uttar Pradesh Brick Kilns (Sitting Criteria for Establishment) Rules, 2012, namely:–

THE UTTAR PRADESH BRICK KILNS (SITTING CRITERIA FOR ESTABLISHMENT) (FIRST AMENDMENT) RULES, 2026

Short title and commencement

1.(1) These rules may be called the Uttar Pradesh Brick Kilns (Sitting Criteria For Establishment) (First Amendment) Rules, 2026.

(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Official *Gazette.*

Amendment of rule 2

2.(1) In the Uttar Pradesh Brick Kilns (Sitting Criteria for Establishment) Rules, 2012 (hereinafter referred to as "said rules") in rule 2, –

(a) *for* the existing clause (i) set out in Column-I below, the clause as set out in Column-II shall be *substituted,* namely :–

COLUMN-I *(Existing Clause)*	COLUMN-II *(Clause as hereby substituted)*
(i) A brick kiln shall not be established within a distance of 5.0 kilometers from the area of a Municipal Council or Municipal Corporation. Subject to the above restrictions a brick kiln shall be established at least 500 meters away from residential area having minimum population of 100-150 persons or 20 houses either kachha or pucca houses. 1.0 kilometer from a residential area having population of more than 150 persons or more than 20 houses whether kachha or pucca.	(i) A brick kiln shall not be established within a distance of 5.0 kilometers from the area of a Municipal Council, Municipal Corporation or Nagar Panchayat. Subject to the above restrictions, a brick kiln shall be established at a minimum distance of 800 meters from habitation.

(b) *for* the existing clause (vi) set out in Column-I below, the clause as set out in Column-II shall be *substituted,* namely :–

COLUMN-I *(Existing Clause)*	COLUMN-II *(Clause as hereby substituted)*
(vi) a brick kiln shall not be established within a distance of 800 meters from a brick kiln already established;	(vi) a brick kiln shall not be established within a distance of 1.0 kilometer from a brick kiln already established;

(c) at the end, the following proviso shall be *inserted,* namely:–

"Provided that any brick kiln which was established prior to the commencement of the Uttar Pradesh Brick Kilns (Sitting Criteria for Establishment) Rules, 2012 and which have already submitted the Consent Application before the Board or have obtained Consent / Permission / No Objection Certificate / Licence / Registration Certificate / Royalty Challan from any Government Department / Authority like Mining Department, Zila Panchayat and Commercial Tax Department which proves that the brick kiln was established before the commencement of the Uttar Pradesh Brick Kilns (Sitting Criteria for Establishment) Rules, 2012 *i.e.* 27.06.2012, shall be deemed to be a valid Brick kiln. If production has been started by such brick kiln without any prior consent from the Board, in such cases, these Brick Kilns shall apply for Consent to Operate and the Board shall issue consent to operate the kiln by imposing a penalty of three times of one year fee for all defaulted years."

Amendment of rule 4

3. In the said rules, *for* the existing rule 4 set out in Column-I below, the rule as set out in Column-II shall be *substituted,* namely:–

COLUMN-I (*Existing rule*)	COLUMN-II (*Rule as hereby substituted*)
4. Emission Standards- The emission standards and Pollution Control System, including height of Chimney for Brick Kilns as notified by Ministry of Environment and Forest (MOEF), Government of India *vide* serial no. 74 of schedule I in notification no. GSR 543 (E) dated 22nd July, 2009 shall be applicable in case of Brick Kilns, issued under the Environment (Protection) Rules, 1986.	**4. Emission Standards-** The emission standards and Pollution Control System, including height of chimney for brick kilns, as notified by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MOEF), Government of India *vide* Notification no. G.S.R. 143(E) dated 22nd February, 2022 [at serial no. 74 of Schedule I of the Environment (Protection) Rules, 1986] shall be applicable in case of brick kilns issued under the Environment (Protection) Rules, 1986:

COLUMN-I (*Existing rule*)	COLUMN-II (*Rule as hereby substituted*)
	Provided that regarding Sitting Criteria of Brick Kilns, rule 2 of these rules shall be applicable.

4. In the said rules, *after* the existing rule 7, the following rules shall be *inserted,* namely:– Insertion of new rules 7-A and 7-B

7-A. "Prevailing Order with respect to Sensitive Area — If any sensitive area notified by Government and which is getting adversely affected by air emissions due to deterioration of Air Quality, any prevailing Change/ Order received by the Board from time to time will be accepted with due approval from the competent Authority duly authorized by the Board.

7-B. Execution of the Closure Order — District Administration, concerned Police Authorities and Concerned Regional Authorities of the State Pollution Control Board shall be responsible for execution of Closure Order issued by the State Board."

By order,

ANIL KUMAR,

Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 365 राजपत्र–2026–(1068)–599 प्रतियां–(डी0टी0पी0 / ऑफसेट)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 17 सा0 पर्यावरण, वन एवं जलवायु –2026–(1069)–100 प्रतियां–(डी0टी0पी0 / ऑफसेट)।